

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 20/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री राजपाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी वार्ड नं. 03 ढाणी
ख्यालीराम वाली सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

—प्रत्यार्थी


आदेश

दिनांक:—02.05.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को राज्यजन सूचना अधिकारी ने सूचना देने से इन्कार कर दिया है। अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी से अपील में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2019 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध है तो सूचना नियमानुसार दी जावे यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो नहीं की सूचना दी जावे। अपीलार्थी को सूचना आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में दी जावे। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।


लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ